पत्रांक–04 / स्था0 / 07 / 2021–........06........... /

झारखंड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

अभियोजन निदेशालय।

प्रेषक,

राज कुमार सिंह
निदेशक, अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय, झारखंड राँची।

U.D.A
3133
27/07/2022

सेवा में,

उपायुक्त
रामगढ़ / प0 सिंहभूम चाईबासा / सरायकेला–खरसाँवा / राँची / गोडडा,
झारखंड।

दिनांक........26.07.22.........

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2022–23 गैर योजना मद के बजट शीर्ष –2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –01– पुनर्वास–200–अन्य राहत उपाय–01– झारखंड विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम–2012(यथा संशोधित) के अन्तर्गत पीड़ित अथवा उनके आश्रित को मुआवजा–06 अनुदान–49–आर्थिक सहायता, विपत्र कोड–22S22350120001000649 के अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुरूप रू0. 16400000 / –(एक करोड़ चौंसठ लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–01– पुनर्वास–200–अन्य राहत उपाय–01 झारखंड विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम–2012(यथा संशोधित) के अन्तर्गत पीड़ित अथवा उनके आश्रित को मुआवजा–06 अनुदान–49–आर्थिक सहायता विपत्र कोड–22S22350120001000649 के अन्तर्गत कुल **रू0. 16400000 / –(एक करोड़ चौंसठ लाख रूपये)** मात्र का आवंटन निम्न विवरणी के अनुरूप किया जाता है :–

क्र0	जिला का नाम	जिलों को आवंटित राशि
1	रामगढ़	550000
2	प0 सिंहभूम चाईबासा	1100000
3	सरायकेला–खरसावाँ	150000
4	राँची	10000000
5	गोडडा	1400000+3200000 = 4600000
	कुल आवंटित राशि	**16400000**

2. उक्त बजट शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–01– पुनर्वास–200–अन्य राहत उपाय–01 झारखंड विक्टिम कम्पनशेसन स्कीम–2012 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत पीड़ित अथवा उनके आश्रित को मुआवजा–06 अनुदान–49–आर्थिक सहायता मद (विपत्र कोड–22S22350120001000649) में उपबंधित राशि संबधित विपत्र कोड से विकलनीय है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला / अनुमंडल कोषागार से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा एवं निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली / बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यार्पित करने की कार्रवाई करेगें।

7. उक्त आवंटनादेश वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 / वि0 (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है उक्त वित्त विभागीय पत्र का अनुपालन करना अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

9. राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–191 / बजट, दिनांक 30.03.2009 का अनुपालन किया जायेगा।

10. राशि की निकासी एवं वितरण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357Aएवं झारखंड पीड़ित प्रतिकर स्कीम–2012 एवं (संशोधित) 2016, 2018, 2019 में उल्लेखित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

11. किसी भी प्रकार के अनियमित, अवैध, नियम विरूद्ध एवं दोहरी निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतएव राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच कर ली जाएगी कि राशि की निकासी वित्तीय नियमावली तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप की जा रही है।

12. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से महालेखाकार झारखंड को ऑनलाइन भेजते हुए उसकी प्रति अभियोजन निदेशालय के e-mail पर भेजी जाय।

13. उपयोगिता प्रमाण पत्र का ऑनलाइन प्रेषण महालेखाकार को करते हुए तत्संबंधी प्रमाण–पत्र आगामी आवंटन अधियाचना पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा अन्यथा अगला आवंटन नहीं दिया जा सकेगा।

14. संबंधित पीड़ितों को प्रतिकर का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

15. राशि के व्ययन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेशित विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ह0/–
निदेशक, अभियोजन
अभियोजन निदेशालय।

ज्ञापांक–अभि0 निदे0–03(बजट)/05/2017...................../ राँची, दिनांक– / /2022 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी रामगढ़/प0 सिंहभूम चाईबासा/सरायकेला–खरसाँवा/राँची/गोडडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, अभियोजन
अभियोजन निदेशालय।

ज्ञापांक–अभि0 निदे0–03(बजट)/05/2017.....06...../ राँची, दिनांक–26/07/2022 ई0।

प्रतिलिपि– योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखंड, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखंड राँची/सचिव JHALSA, झारखंड राँची/संबंधित जिलों के लोक अभियोजक/नोडल पदाधिकारी पोर्टल गृह विभाग झारखंड/अवर सचिव बजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव DLSA रामगढ़/प0 सिंहभूम चाईबासा/सरायकेला–खरसाँवा/राँची/गोडडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/07/2022

निदेशक, अभियोजन
अभियोजन निदेशालय।